हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 मार्च, 1973

(प्रथम बैठक)

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 13 मार्च, 1973

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)1
नियम 45 के अधीन पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7)31
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 पर शिक्षा मंत्री द्वारा वक्तत्य	(7)33
बहिर्गमन	(7)41
दी हरियाणा एप्रोप्रिएशन बिल, 1973	(7)43–45

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 13 मार्च 1973 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन,

(श्री बनारसी दास गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, प्रश्नोंत्तर काल। श्री अमर सिंह।

Cases Instituted by the Vigilance Department

*__212 Sh. Amar Singh:__ Will the Minister for Home be pleased to State—

(a) Whether the Vigilance Department has institued any cases against the officers/officials in the state during the period from 1st April, 1972 to-date;

(b) If so, the names of such officers/Officials referred to in part (a) above;

(c) The names of the officers/Officials against whom enquiries have been completed or are going on;

(b) The number of officers/officials have been dismissed, suspended or removed from service as a result of enquiries referred to in part (c) above; and

(f) if so, their names together with their date of dismissal, suspernsion or removal from service?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) Yes.

(b) It shall not be in public interest to disclose

and

(c) The names of such officers/officials.

(d) Nill

(e) No officer/official has been dismissed or removed from service by the Vigilance Department as a result of the inquiries held frok 1st April, 1972 to date. However, two officers and one official were placed under suspension.

(f) It shall not be in public interest to disclose the names of such officers/officials.

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बेशक नाम तो न बताये लेकिन टोटल नम्बर कितना है, क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे?

Ch. Bansi Lal: The number of total enquiries taken in hand by the Vigilance Department is 259.

चौधरी राम लाल वधवा: क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेगे कि जो इंक्वारिया पैन्डिग है, उनमें से कितनी इंक्वायरिया ऐसी है जिनको चलते हुए एक साल हो गया है और अभी तक कम्पलीट नही हुई है?

Ch. Bansi Lal: This questions to the period after 1st April, 1972.

श्री अमर सिंह: क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेगे कि नेचर आफ इन्कवायरी क्या हे?

Ch. Bansi Lal: Normally irregularity, corruption and of the general complaints.

construction Boundary wall of B.K. Hospital

***220 Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) Whether is a fact that there is no boundary wall of the B.K. Hospital, Faridabad; and

(b) If the reply to part (a) above be in the affirmative, the time by which the said boundary wall is likely to be constructed?

गृह एंव स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी):

(क) जी हां

(ख) ज्यूं ही धन राशि उपलबध हुई।

श्री के.एन. गुलाटीः क्या आनरेबल मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सच है कि बाउन्टरी वाल न होने के कारण कई डाक्टरों के यहां चोरिया हुई है, अगर यह बात सही है तो यह बाउन्डरी वाल कब तक बनकर तैयार हो जायेगी?

श्रीमती शारदा रानीः स्पीकर, चोरी होने के लिए बाउन्डरी वाल की कोई जिम्मेदारी नही है। बाउन्डश्री वाल जैसे कि मैने बताया है, ज्यों ही धन राशि उपलब्ध हुई, त्यों ही बना दी जायेगी।

श्री ओम प्रकाश गर्गः अगर गुलाटी साहब, चन्दा इक्ट्ठा करके बाउन्डरी वाल बना ले, तो क्या इन्हें (मंखी महोदया) कोई एतराज है?

श्री अध्यक्षः इन्हें क्या एतराज होगा?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा): अगर चन्दा यह इक्ट्ठा कर दें ता बना तो पी.डब्ल्यू.डी. देगा।

तारांकित प्रश्न सं० 239

श्री अध्यक्षः यह प्रश्न चौधरी राम लाल वधवा जी काथा लेकिन इसके लिए एक्सटैशन मांगी गयी है।

चौधरी राम लाल वधवाः यह एक्सटैशन कब तक के लिये मांगी गयी है?

श्री अध्यक्षः 28 मार्च तक के लिये। अगला प्रश्न

Jobs Through the Employment Exchanges

***274 Ch. Brij Lal:** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) The total number of persons provided with the job through the various employment exchanges in the state from 1st May, 1968 to the 30the June, 1972; and

(b) The average number of persons provided jobs per year through the Employment Exchanges?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal):

(a) 1,20,438

(b) 29,358-average of the last five years.

चौधरी दल सिंहः क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से कतने व्यक्ति शड्यूल्ड कास्ट या हरिजन है?

श्री के.एल. पोसवालः 4,282

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय यह बातने की कृपा करेगे कि जो एक्सचेंज वाले है वह क्या करते है कि प्राइवेज आफिसिज में या प्राईवेट फमों में जाकर यह भरवा करके आते है कि हमने इतने आदमी नौकरी पर रखे है, उन आदमियों को भी इस गिनती में शामिल किया हुआ है या नही?

श्री के.एल.पोसवालः एम्पलयामैंट एक्सचेंज वाले क्या करते है, यह उनका प्राइवेट काम है, इसका हमें पता नही है।

श्री अध्यक्षः वह क्या करते है आप इस बात को छोडिये। आप पूछना क्या चाहते है?

चौधरी राम लाल वधवाः प्राइवेट फमों में जो मुलाजिम काम कर रहे है, क्या उनकी गिनती भी इन फिगर्ज में शामिल है?

श्री अध्यक्षः आप इनसे यह पूछिये कि जो फिगर्ज आपने बतलायी है, क्या ये बिल्कुल सही है। (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः मै सीधा सा सवाल पूछता हूं कि क्या इसमें उन आदमियों की फिगर्ज भी शामिल है जो फर्मो वाले खुद रख लेते है और एक्सचंज वाले वहां खुद लिख कर ले जाते है?

श्री के.एल.पोसवालः ये उन आदमियों की फिगर्ज है जिनके नाम एम्पलयामैट एक्सचेंज से आते है।

श्रीमती लेखवती जैनः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने इतनी बड़ी लिस्ट दी है कि इतने लोगों को इम्पलायमैंट दी है। क्या वे यह बतायेगे कि इन्में से जैनियों किो कितनी एम्पलायमैंट दी है?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): बहिन जी का नाम तो हम बगैर एम्पलायमैंट एक्सचेंज के लाये है। (हंसी) चौधरी राम लाल वाली बात सच्ची हो गयी (हंसी)

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब मंत्री महोदया ने यह बताया है कि 1 लाख 20 हजार 438 आदमियों को एम्पलायमैंट दी है। इनमेंसे अगर अनुपात के हिसाब से देखा जाये तो जो रिजर्वेशन होनी चाहिए थी वह 24,000 की होनी चाहिए थी लेकिन उन्होने कहा है कि 4282 की हुई है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेगे कि इस कमी का क्या कारण है?

श्री के.एल. पोसवालः स्पीकर साहब, इसके बारमें मे तो मै आपकी फिगर्ज दे रहा हूं। हरियाणा में शिड्यूल्ड कास्ट्स की इम्पलायमैंट की फिगर्ज है 16.1 परसैट, जबकि आल इंडिया फिगर्ज है 14 परसैट। हरियाणा मैं एक्स–सविसमैन की एम्पलायमैंट की फिगर्ज है 26.5परसैट जबकि आल इण्डिया की फिगर्ज है। 19.1 परसैट। एजूकेटिड हो हरियाणा में 25 परसैट की फिगर्ज है और आल इण्डिया की 8.2 परसैट है। विमैन की हरियाणा में 35.6 परसैट की फिगर्ज है और आल इण्डिया की 10.9 परसैट है। Our state is probadly the best in the country.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने चौधरी दल सिंह के सवाल के जबवामें जो फिगर्ज दी है वह चार हजार के लगभ ग है।जैसे कि इन्होने बताया है अगर 16 परसैट के हिसार से लिया जाये तो उस हिसाब से भी हरिजनों की फिगर्ज 20,000 होनी चाहिये थी। 20 हजार ओर 4 हजार में काफी गैप है। इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्षः यह रिजर्वेशन अप–टू मार्क नही हुई इसका क्या कारण है, आप इनकों यह बतला दीजिय?

श्री के.एल. पोसवालः स्पीकर साहब, इसकी कई वजूहात हो सकती है। कई दफा हमें आदमी ही नही मिलते। जैसे कल के एक सवाल के जवाब में भी यह कहा गया था कि पी.एस.आई. के लिए पूरी एप्लकेशन्ज नही आयी। फिर भी हम इस बारें में कोशिश कर रहे है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्यां मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उनके नोटिस में ऐसी कोई बात है कि एम्पलायमैंट एक्सचेंज वाले, जिनका नम्बर पहले होता है, उनकों छोड़ कर उनसे आगे वालों के नाम भेज देते है?

श्री के.एल. पोसवालः इस किस्म की अब तक हामरे पास कोई शिकायत नही आयी है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, आम तौर पर गवर्नमेंट कायह जवाब होता है कि हमें क्वालीफाईड आदमी नही मिलते। मै

सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज से सब हरिजनों के नामों की लिस्ट्स मंगवाने के लिये तैयार है ताकि दोबारा इस किस्म की गलती न हो सके?

श्री के.एल. पोसवालः हमारे पास लिस्टे होती है।

श्री अध्यक्षः आपका यह यह जवाब था कि नाल–अवेलेविलिटी की वजह से हरिजनों की गिनती पूरी नही होती।

श्री के.एल. पोसवालः स्पीकर साहब, कई दफा वे क्वालीफाई भी नही करते।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, चण्डीगढ में जो रिक्रूटमैंट होनी होती है, उसकी इन्फमेशन वेरियस डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर आम तौर पर बाद में पहुंचती है। जब इन्टरव्यू हो जाती है तब वे लड़के यहां आ पाते है, क्या यह हकीकत है?

श्री के.एल. पोसवालः स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नही है। उनहें भी ठीक टाईम पर इन्फर्मेशन मिलती है और जब हम इन्टरव्यू लेते है।

श्री जगजीत सिंह टिक्काः स्पीकर साहब, एम्पलायामैंट एक्सचेंजों में जो रिन्यू कराने के लिए तारीख मुकर्रर करते है, कई काड़ों पर तो एक साल बाद की कर दते है और कई काड़ों पर तीन महीने बाद की कर देते है। क्या सरकार इस बात पर विचार

करेगी कि सब कार्डो के लिये रिन्यूअल की डेट एक साल बाद की कर दी जाये?

श्री के.एल. पोसवालः स्पीकर साहब, इस सवाल से यह सप्लीमैट्री अराईज ही नही होता।

श्री ओम प्रकाश गर्गः स्पीकर साहब, शिड्यूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों की जो रेशों होनी चहिए थी उसमे कमी है। जितने आदमी अभी नही लिये जा सके है, क्या उतने आदमी आईन्दा लेने के लिए ध्यान रखा जायेगा?

श्री ओमप्रकाश गर्गः स्पीकर साहब, शिड्यूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों की जो रेशों होनी चहिए थी उसमे कमी है। जितने आदमी अभी नही लिये जा सके है, क्या उतने आदमी आईन्दा लेने के लिए ध्यान रखा जायेगा?

श्री के.एल. पोसवालः बिल्कुल।

चौधरी दल सिंहः मिनिस्टर साहब ने आने जवाब में यह फरमाया है कि एक लाख 20 हजार 438 आदमी काम पर लगाये है। मै मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन 1,20,438 में किस किस श्रेणी के कितने कितने आदमी एम्पलायमैंट पर लगाये है?

श्री के.एल. पोसवालः इसके लिए अगर आनरेबल मैम्बर सैपरेट नोटिस दे दें तो मै जवाब दे दूंगा।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, इस बात के पेशेनजर कि मंत्री महोदय बार बार यह कहते है कि हरिजन आदमियों के नाम अवेलेबल नही है, कया वे इस बामरें कोई जांच कमेटी बिठायोगे जिससे यह मालूम हो सके कि जो रिपोर्ट इनके पास आती है वह ठीक है या नही?

श्री के.एल. पोसवालः उसकी ाते कोई जरूरत नही हैं अगर आप की नौलज में कोई एसी बात है तो आप बताये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप बहस में न पड़े अगर कोई एडीशन अपने सवाल में करना चाहते है तो बताये।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप बहस में न पड़े, अगर कोई एडीशन अपने सवाल में करना चाहे है तो बताये?

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मै यह पूछना चाहता हूं कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के थोड़े आदमी भर्ती हुए, तो क्या गवर्नमैंट कोई ऐसी कमेटी या एजेन्सी बनाने के लिए तैयार है जो कि यह देखे कि जो फिगर्ज दी है वह ठीक है और किस वजह से थोड़े लोग सर्विज में आए है?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, गवर्नमैंट सर्विस में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स की कमी है उसको पूरा करने के लिए अन्डर दि चेयरमैनशिप आफ दि चीफ मिनिस्टर एक कमेटी बनी हुई है। लेकिन एम्पलाएमेंट एक्सचंजिज में जो दर्ज है वे

प्राईवेट एम्पलायमेंट में भी जाते है और हम उन पर पाबन्दी नही लगा सकते कि शिड्यूल्ड कास्ट का कोटा वे पूरा करें क्योंकि जो क्वालीफाई करता है कमशियल मार्किट में उनकों ले लेगे दूसरों को नही लेगे। We cannot help it.

श्री अमर सिंहः क्या सरकार बैरियस एम्पलायमैंट एक्सचेंज से रिपोर्ट मंगाने के लिए तैयार है कि कितने शिड्यूल्ड कास्ट वहां ऐनरोलड है?

(उत्तर नही दिया)

चौधरी पीर चन्द्रः क्या सरकार इस चीज को करने को तैयार है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स दर्ज है और उनको अभी तक नही लिया गया है तो पहले उनकों लिया जाए और दूसरें लोगों को बाद में लिया जाए?

श्री के.एल. पोसवालः यह तो कोई बात नही।

चौधरी शिव राम वर्माः इस वक्त रोजगार दफतरों में बाकी कितने नाम दर्ज है?

श्री के.एल. पोसवालः 1968 से 1972 तक जो रजिस्टर हुए वे है 8,03,264।

चौधरी शिव राम वर्माः इस वक्त कितने बाकी है?

श्री के.एल. पोसवालः इस वक्त 1,89,572 बाकी है।

चौधरी राम लाल वधवा: इन्होने जो फिगर्ज दी है उनमे ग्रेजूएट कितने है और मैट्रिक कितने है और कितनों को सर्विस दी गई है?

श्री के.एल. पोसवाल: इसके लिए सेपरेट नोटिस चाहिए।

HOUSE FOR DESTITUTE

***292 Sh. Hari Singh:** Will the Minister for development be pleased to state—

(a) The names of the places where the House for the destitute women and window have been opened so far in the state together with the sanctioned strength of each such House.

(b) The total capacity of such house during the years 1969-70 and 1972-73 separately; and

(c) Whether there is any proposal under consideration of the Government to further increase the capacity in these House; if so, the extent thereof?

Development Minister (Sh. Syam Chand):

(a) & (b) A statement is laid on the table of the House

(c) No.

STATEMENT

Sr. No.	Place where Home for Destitute Women and Widows located	Date of Establishment	Sanctioned/ Total Capacity	Actual Strength			
				1969-70	1970-71	1972-72	1972-73
1.	Karnal	231-69	87	66	82	86	87
2.	Rohtak	25-5-71	230	-	-	53	54
3.	Faridabad	25-5-71	183	-	-	33	47
	Total		500	56	82	172	188

श्री हरि सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि जो यह डेस्टीच्यूट्स है उनको क्या फेसिलीटीज दी जाती है?

Sh. Shyam Chand: We give them cash doles for maintenance.

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि डेस्टीच्यूट्स में औरतों के हैल्प करने का क्या क्राईटेरिया है?

Sh. Shyam Chand: On the recommendations of the Deputy commissioner.

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि जो यह डेस्टीच्यूट हाउसिज् है उनका सालाना खर्चा कितना है?

Sabhibi Nadi

***297. Sh. Rao Abhai Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to make investigations for controlling water of Sahibi Nadi in District Gurgaon.

(b) If so, in time by which the investigations are likely to made; and

(c) The area likely to be benefited by the said scheme?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) Yes

(b) Investigations have completed.

(c) It is a flood moderation scheme and the area now flooded by the Sahibi Nadi lying to the west of Delhi-Rewari road will receive the benefit of flood moderation.

राम अभव सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि क्या उनके नोटिस में है कि लोगों की तरफ से कोई रिप्रेजेन्टेशन आया है जिसमें उन्होने कहा है कि बान्ध या डिमारकेशन जो सरकार कर रही है उससे लोगों को काफी नुक्सान हो रहा है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः यह फलोईग वाटर है, यह हरियाणा में आकर जमीन को चार्ज करता है। हम इसकों रोक नही सकते।

चौधरी शिव राम वर्माः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि बांध बनाने से जो उस एरिया में गांव आएंगे उनकों उठाया जाएगा या नही?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः ऐसी कोई बात नही है। किसी गांव को उठाने की बात नही है यह पानी दो–तीन दिन ठहरेगा उसे बाद आस्ता–आहिस्ता उसकों निकाल देगे ताकि वह दिल्ली वालों को नुक्सान न करें।

श्री सतराम दास बत्राः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि सर्वे डिविजन ने सर्वे करके कोई रिपोर्ट दी है और उसके अनुसार सिरसा और टोहना जहां मीठा पानी है। वहां से

चैनल बनाकर मीथाथल या बारानी जो इलाका है उसकी तरफ लाया जाएं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः यह सवाल क्वेशचन नम्बर 297 से पैदा नही होता।

चौधरी मनफूल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि जैसे साहिबी नदी है तथा दूसरी नदियां है जब बाढ़ आती है ता छह–छह महीने पानी नही निकलता और रबी की फसल को बहुत नुक्सान होता है। इसके लिए वे क्या करेगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः इसलिए तो यह गवर्नमैट ने 134.36 लाख की स्कीम बनाई है।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः ससे झज्जर के कितने गांव है जिनकों फ्लड का पानी आने से नुक्सान होगा तथा किसानों को फायदा होगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः सिर्फ 6,833 एकड़ में थोड़े दिन पानी ठहरेगा उसके बाद पानी निकाल दिया जाएगा।

श्री ओमप्रकाश गर्गः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि क्या यह पानी आबपाशी के काम आएगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः नही। अभी कोई स्कीम नही है।

राव बंसी सिंहः महेन्द्रगढ़ जिले में साहिबी नदी की तरह कोहान और कृष्णावती नदियां है, क्या गवर्नमैंट एक्सपरीमेन्टल बेसिज पर उन पर कोई पक्का डैम बनाने का विचार कर रही है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः यह तो साहिबी नदी की बात है।

चौधरी चांद रामः क्या मंत्री महोदया बताएंगे कि यह सिर्फ बाढ़ विरोधक बांध होगा या सिंचाई के लिए होगा? क्या झज्जर तहसील के उन गांवों को इससे फायदा होगा जिनकों कि पहले पानी मिलता रहा है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः इससे तो सभी को फायदा होगा।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या इस पानी का सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाएगा?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब अभी दिया जा चुका है।

राव अभय सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि उस पानी को कंट्रोल करने से कुछ गांव फ्लडिड हो जाएंगे तो क्या उने लिए भी कोई स्कीम सोची है। जिससे वे फ्लडिड न हो?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि फलड न आए।

चौधरी अमीर चन्द कक्कड़: कितने क्यूसिक फ्लड का पानी आता है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: यह तो वर्षा पर डिपैन्ड करता है। कभी ज्यादा पानी आता है, कभी कम पानी आता है।

Loharu Lift Irrigation Scheme

***300 Ch. Ram Parshad:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) The date on which the Loharu Lift Irrigation canal started functioning in the state;

(b) The length of the canal together with the place through which it passes;

(c) The year wise areas irrigated by the said canal during the years 1970, 1971 and 1972 separately;

(d) The target, if any, fixed for irrigation from the said canal during the year 1973?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(c) 1970-The system did not function.

1971-4,298 acres.

1972-13,433 acres.

(d) Irrigation in 1973 will depend on availability of water in the river. Attempts will be made to increase the irrigation beyond 13,433 acres in 1972, to the extent possible.

(a) Part of the scheme started functioning on 28th July, 1971.

(b) The total length of canal system is about 325 miles. The area through which the canal system passes lies in tehsil Jhajjar of district Rohtak and tehsils Dadri and Loharu of district Bhiwni.

चौधरी राम प्रसादः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि यह नहर सारा साल चलेगी य दो–तीन महीने चलेगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः अभी तो यह कुछ महीने चलेगी जब व्यास का पानी आएगा तो उसे पैरेनियल कर दिया जाएगा।

श्री ओम प्रकाश गर्गः इस स्कीम में कितनी लिफ्टस है और कितना पैसा लगेगा और उनसे कितना फायदा होगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः इसमें टोटल लिफ्टस 14 लगेगी, आठ लिफट्स इन्दिरा गांधी कैनाल पर, चार डिस्ट्रीब्यूटरीज पर और दो बाद में।

चौधरी चांद रामः इस नहर को चलाने के लिए क्या नया पानी लाया गया है या पुराने पानी से ही यह नहर चलायी जाएगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः हमने नहर को लाईनिग किया है, ट्यूबवैल्ज लगाए है, इनसे पानी बढ़ता है।

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): I want to clarify the position, Mr. Speaker. The water in the Indira Gandhi Canal is mainly the water of Drain No. 8 and surplus water and flooded water of River Yamuna.

Financila Assistance to Blind, Deaf and Dumb Persons

***307 Sh. jagjit Singh Tikka:** Will the Minister for development be pleased to state—

(a) The rate of financial assistance, if any, given to the blind, the deaf and dumb and orthopaedically handicapped persons in the state since 1st November, 1966; and

(b) The total number of such persons to whom this assistance was given during the year 1972-73?

Development Minister (Sh. Shyam Chand):

(a) Nil

(b) Does not arise

श्री जगजीत सिंह टिक्काः स्पीकर साहब क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेगे कि इसके मुत्तालिक आगे के लिये भी सरकार द्वारा कुछ किया जा रहा है?

Sh. Shyam Chand: Actually, we do not give any financial assistance to bling and other handi-capped children, but we give scholarships to those who study in recognised schools.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, क्या मुत्री महोदय यह बताएंगे कि सरकार इनके लिए कोई सैन्टर खोल कर इनकी मदद करेगी?

Sh. Shyam Chand: I have told the Hon. Member already that these are simple scholarships and not financial assisance and we are giving to everybody who is coming forth.

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, क्या आनरेबल मिनिस्टर यह बताने की कृपा करेगे कि जैसे विडोज की मदद करके ओल्ड एज पैन्शन देते है उसी तरह से अन्धे, लंगडे, लूलों की भी मदद करने के लिए सरकार तैयार है?

Sh. Shyam Chand: We have two schools, one at Sonepat and the other at Panipat and we are even giving scholarships to those who study in recognised schools and colleges. But, we do not give any financial assistance as such as has been asked for in the question.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेगे कि यह जो इंस्टीट्यूशंज है, और इस में जो वजीफे दिये जाते है, उनमें इस वक्त कितने अन्धे तथा बहरे है?

श्री श्याम चन्दः 46

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि यह जो स्कूल्ज अन्धें, लंगड़े, लूलों और बहरों की ट्रैनिग के लिये खोल रखहे है?, उनकों एम्पलायमैन्ट में प्रयारिटी देने की सरकार की कोई स्कीम है?

Sh. Shyam Chand: We have requested all heads of Departments and even private organisations to give certain percentage of their posts to these handi-capped children.

श्री गुलाब सिंह जैनः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बतलाएंगे कि हिसार के अन्दर एक वौलन्टरों आर्गेनाइजेशन चल रही है जहां कि अन्धे बच्चों का पढ़ाया जाता है, क्या सरकार ऐसे बच्चों को भी स्कलरशिप देकर मदद करने के लिए तैयार है?

Sh. Shyam Chand: We give scholarship to those studies in reconginised schools and colleges.

चौधरी राम प्रशादः स्पीकर साहब, क्या मै मिनिस्टर साहब से यह पूछ सकता हूं कि कभी इन्होने, इन स्कूलों में अन्ध विद्यालयों में जाकर चैक किया हज्ञै?

श्री श्याम चन्दः जी हो, किया है।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बतलाएंगे कि सरकार की ऐसे कोई और स्कूल खोलने की तजवीज है जिससे और ज्यादा लोग भी फायदा उठा सकें?

श्री श्याम चन्दः आप फायदा चाहे तो दूसरी बात है। अगर कोई एम.एल.एज. इस किस्म के स्कूलों में पढ़ना चाहे तो हमारे पास सोनीपत और पानीपत में बहुत सी सीटें खाली पड़ी है।

चौधरी मेहर चन्दः स्पीकर साहब, मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो अन्धे, लंगड़े, बहरे है उन्हें इन स्कूलों में किस किस्म की तालीम दी जाती है?

Sh. Shyam Chand: We have different age groups. Upto 17 years age, we give scholarship to those who study in schools. From 17 to 40 basketary and embroidery and so many things.

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सोनीपत स्कूल से पढ़ने वाले कितने ऐसे बहरे है, जिन्हें आज तक नौकरी मिली हो?

(उत्तर नही दिया गया)

चौधरी शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेगे कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले लोगों को, पढ़ने के बाद नौकरी की भी परसैन्टेज मुकर्रर की जाती है?

श्री श्याम चन्द: स्पीकर साहब, हमने तो पहले ही सभी हैड आफ दी डिपार्टमैन्टस व प्राइवेज आर्गेनाइजेशनज् को, बलिक मैने अपने डायरैक्टर, सोशल वेलफेयर को भी यह हिदायत दे रखी है कि इन लोगों के लिये भी, नौकरियों वगैरह में कुछ परसैन्टेज रख ली जाया करें।

Reconditioning of Channels

***309 Sardar Piara Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether the channels of Western Jumna Canal have been reconditioned and water is being supplied at the tail of each such channel.

(b) If so, the number thereof; and

(c) Whether any minors have also been lined and excited to improve the condition of supply at the tail of the channels; if so, the approximate number thereof.

State Minister for irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh):

(a) The reconditioning of the channels of Western Jumna Canal, Wherever required, has been done and water is being supplied at the tails.

(b) 97.

(c) Yes, two minors have been lined.

चौधरी शिव राम वर्माः स्पीकर साहब, क्या मिन्स्टिरसाहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वैस्टर्न जमुना कैनाल के रजवाहों में जे पानी कम हो गया है, उसकों पूरा करने का भी प्रयत्न किया गया है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः कम तो हुआ नही। अगर कोई नहर कम पानी देती है तो हमें बता दें, हम पता कर लेंगे।

श्री अमर सिंहः वैस्टर्न जमुना कैनाल की लाईनिग करने के बाद रि–माडलिग करने की सरकार की कोई स्कीम है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, वैस्टर्न जमुना कैनाल के थोड़े से हिस्से को लाईलिंग किया है, सारे को अभी किया नही है। अगर किसी जगह अभी तक लाईनिग का काम नही हुआ है तो होने वाला होगा और उसकों जरूर कर दिया जाएगा।

श्री ओम प्रकाश गर्गः स्पीकर साहब, क्या मै मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि अभी और नहरों को लाईनिग करने की सरकार की कोई स्कीम है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः गवर्नमैंट का ऐसा करने का विचार है?

लाल रूलिया रामः स्पीकर साहब, टयूबवैलों से जो पानी नहरों में डाला गया है उससे पानी में बढ़ौतरी हो गई है। तो क्या पानी रजवाहों में भी दिया जाएगा या नही?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः पानी तो उतना ही दिया जाएगा, जितनी जमीन उस चैनल में होगी। ज्यादा कैसे दिया जाएगा?

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब की नौलिज में ऐसा है कि वैस्टर्न जमुना कैनाल की जो लाईलिग की गई है, वहां से काफी ब्लाक टूट गये है, अगर उनके नौलिज में ऐसी बात है तो क्या सरकार कोई प्रोपोजल या स्कीम बनाना चाहती है, जिससे कि ऐसी गल्ती न हो।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, समझ में तो काई बात आई नही। अगर आ जाएगी तो देखेगे।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय के ज्ञान में ऐसी कोई बात है कि पहले जमींदारों को तीन बार पानी मिलता था और अब एक बार मिल रहा हो?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः क्या आप 309 सवाल के बारें में पूछ रहे हैं

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, ऐसा कोई केस नही है कि पहले जमींदारों को तीन बार पानी मिलता हो और अब एक बार मिलता है बल्कि ऐसा तो हो सकता है कि पहले एक बार पानी मिलता हो और अब तीन बार मिलता हो।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब हिसार जिले में चितंग नाम से एक नहर बोली जाती है, वह एक साल से बन्द पड़ी है, पानी आता ही नही है। क्या इस तरफ सरकार कोई ध्यान देने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्षः यह मूल प्रश्न से तो पैदा नही होता।

श्री सतराम दास बत्राः स्पीकर साहब, पानी की पोजीशन बेहतर बनाने के लिये बारिश के टाईम के बाद भी नहरों की डि–सिलटिंग करने की सरकार की कोई स्कीम है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, यह काम तो तीन साल और पांच साल के अन्दर–अन्दर होता है, फिर भी हम इसे करने की कोशिश कर रहे है।

चौधरी प्रभु रामः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ताजेवाला है हैड है उसके साथ यू.पी. वाले एक बांध बना रहे है, क्या इससे हरियाणा को नुक्सान नही होगा, क्या सरकार को भी ऐसा कोई बांध बनाने का विचार है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नही होने दी जाएगी, जिससे हरियाणा को नुक्सान हो।

चौधरी बृज लालः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि जहां रेतीले इलाके है वहां वांटर कोर्सिज को पक्का किया जाएगा या नही?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब इनकों हम पक्का करने का प्रोग्राम बना रहे है और हमारा ऐसा ख्याल है कि नैक्सट फाइनैशियल ईयर में 10 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट एक्जिक्यूट करेगे।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेगे कि जमीदारों को जो पानी मिलेगा उस बारें में अगर कोई जमीदार ऐसी कोई शिकायत करेगा तो वे इसके लिये इंक्वायरी कराने के लिये तैयार है?

चौधरी बंसी लालः स्पीकरसाहब, मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नही है। मै अच्छी तरह से जानता हूं। मै किसानों के बहुत समीप रहता हूं। मेरे से ज्यादा कोई देहातों में जाता ही नही।

लाला रूलिया रामः यू.पी. गवर्नमैंट जैसे अपने बांध बना रही है और हरियाणा गवर्नमैंट ने जमुना पर जो कच्चे बांध बनाए है क्या उनकों पक्का करने की कोई स्कीम है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः यह बता तो नहरों की है। लेकिन फिर भी जमुना पर ऐसी बात नही होने दी जाएगी जिससे हरियाणा को नुकसान हो।

श्री उमेद सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो छोटे माइनर्ज होते है उनके टैन्ज पर पानी की शार्टेज रहती है क्या उन शार्टेज को दूर करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे है।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः जहां भी किसी टेल पर कम पानी जाने की शिकायत आई है हमने उसी वक्त कदम उठाए है।

Gurgaon Canal Project

***332 Ch. Phool Chand (Mullana):** Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) The year in which the Gurgaon Canal Project started together with the date on which it was completed;

(b) The details of the project together with the total amount spent thereon; and

(c) The approximate area irrigated byb this project during the year 1972?

State Minister for Irrigation & Tower (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) The work on the Gurgaon Canal Project was stated during May, 1960, and is likely to be completed during the year 1974. Irrigation was, however, stared in 1967.

(b) A statement is laid on the Table of the House,

(c) 17,798 acres in 1971-72.

STATMENT

1.	Original Cost	Rs. 789.50 Lakhs.
2.	Revised Estimate cost	Rs. 1,206,.64 Lakhs.
3.	Rajasthan's Share in revised cost	Rs. 325.00 Lakhs.
4.	Capacity at head	2,240 cusecs (including 500 cusecs for Rajeshthan)
5.	Length of the Gurgaon Canal system	315 miles.
6.	Ares to be irrigated	3.58 Lakhs acresl.
7.	Amount spent up to 12/72	Rs. 1,009.53 Lakhs.

चौधरी फूल चन्द (भुलाना): क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि जब यह प्रौजैक्ट 1974 में तैयार होने जा रहा है तो इरीगेशन पहले कैसे हो गई?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: कुछ एरियाज ऐसे है जो जमुना का पानी आ जाने से इरीगेट हो जाते है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि इसमें राजस्थान का भी हिस्सा है? क्या यह भी बताने की कृपा करेगे कि इसमें पूरा पानी कब चलेगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: जब पूरा पानी चलेगा तो वह 22 सौ क्यूसिक हेागा जिसमें 500 क्यूसिक राजस्थान का हिस्सा होगा उसी को प्रौपोर्शन से वे हमें पैसा दे रहे है।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस प्रौजैक्ट पर कुल कितनी लागत आयेगी और अब तक कितनी आ चुकी है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: इस पर कुल लागत 1206. 64 लाख आयेगी और उसमें राजस्थान का हिस्सा 325 लाख होगा। अब तक जो इस पर लागत आ चुकी है वह 1009.53 लाख।

चौधरी अब्दुल रजाक खां: गुडगांव कैनाल में जो कैमिकल्ज का पानी गिरता है क्या उसका बन्दोबस्त किया जाएगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः मेरे पास ऐसी कोई बात नही आई। लेकिन फिर भी ऐसी बात नही होने दी जाऐगी?

चौधरी अब्दुल रजाक खांः हिरमतला और घासेड़ा के बीच में एक रेवासन हिस्ट्रीव्यटरी है वहां की 30 प्रतिशत जमीन शोरा हो गई है।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): कैमीकल कहां से आती है?

चौधरी अब्दुल रजाक खांः यह कैमीकल फरीदाबाद से गिरती है जिसकी वजह से वहां की जमीन की पैदावार बन्द हो गई है।

Ch. Bansi Lal: We will examine it. If there is any such thing, we will get ti checked up.

श्री अध्यक्षः आप लिख कर भिजवा दें।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, हम वैसे ही चैक करवा देगे।

श्री अमर सिंहः यह गुडगांव कैनाल प्रौजेक्ट 1960 में शुय हुआ और 1974 मे खत्म हो रहा है। क्या मंत्री महोदय बताऐगे कि इतनी धीमी रफ्तार क्यो है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः यह प्रौजैक्ट 1960 में शुरू हुआ। चाइना एग्रेशन के बाद यह बन्द रहा हौर इसके बाद

इसमें 1967–68 में 551.81 लाख क्यूसिक पानी लगा 1968–69 में 609.01, 1969–70 में 690.02, 1970–71 में 815.97 तथा 1971–72 में 928.52 लाख क्यूसिक पानी लगा। इसी हिसार से हम पैसा लगा रहे है।

चौधरी रिजक रामः मंत्री महोदय ने अभी फर्माया है कि इस प्रौजेक्ट पर अब तक इतना खर्च हो चुका है और इतना खर्च कुल होना है। क्या यह रकम प्रौजेक्ट के एस्टीमेंट के मुताबिक है या रिवाइजड एस्टीमेंट के मुताबिक है?

चौधरी बंसी लालः एस्टीमेंटस रिवाइज होते रहते है।

चौधरी रिजक रामः क्या मंत्री महोदय ओरिजनल एस्टीमेंट बताने की कृपा करेगे?

चौधरी बंसी लालः इस वक्त तो अवेलेबल नही है लेकिन आप जानते है कि 5/6 साल में फर्क ही रहता है।

श्री ओम प्रकाश गर्गः क्या मंत्री महोदया बताएंगे कि राजस्थान के हिस्से का जो पैसा है वह साथ–साथ लिया जा रहा है। या उसके नाम लिखते चले जा रहे है।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः साथ–साथ ले रहे है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि इस वक्त जितना पानी आ रहा है उसका पूरा इस्तेमाल हो रहा है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः जी हो पूरा इस्तेमाल हो रहा है।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, चौधरी रिजक राम ने कुछ फिगर्ज पूछी थी वह मुझे मिल गई है। ओरिजन ऐस्टीमेंट था 789.50 लाख और अब यह 1206 लाख 64 हजार हो गया है।

चौधरी अब्दुल रजाक खांः गुडगांव कैनाल पर गधौला तहसील फिरोजपुर झिरका में पुल नही दिया गया है क्या पुल बना दिया जाएगा।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः पुल को इस सवाल के साथ कोई संबंध नही है।

चौधरी बंसी लालः सरकार जहां जरूरी समझंगी वहां पुल दे दिया जाएगा।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि ओरिजनल एस्टीमेंट में और अब के एस्टीमेंट में 400 लाख रूपये के फर्क का क्या करण है?

चौधरी बंसी लालः इसका कारण यह है कि मैटिरियल की कीमत बढ़ गई है। और लेबर के वेजिज बढ़ गये।

श्री अमर सिंहः क्या इसका कारण यह नही है कि डिले होने की वजह से प्राइसिज बढ़ गई है। इसलिए यह खर्चा ज्यादा हुआ?

चौधरी बंसी लालः आगे भी बहुत सारे प्रौजेक्ट ऐसे है जिनेस रिवाइज्ड एन्टीमेंट्स बढ़ गये है क्योंकि आज कीमत कुछ होती है कल को कुछ होती है। हम सब्जैक्ट टू दि अबेलेलिटी आफ फंडज काम करेगे।

Municipal Committee

***357 Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for transport be pleased to state whethe there is any proposal under the consideration of Government to consititute a Municipal Committee at Taraori.

State Minister for Co-Operation & Loacal Govt. (Ch. Gordhan Dass Chauhan):

No.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, कमेटी बनाने में इनकी क्या कठिनाई है?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः इसमें कुछ कन्डीशन्ज होती है। अगर वह सारी कन्डीशन्ज फुलफिल हो जाये तो हम बना देगे।

चौधरी शिव राम वर्माः इस कस्बे की आबादी लगभग 10,000 से भी ज्यादा है। मै जानना चाहता हूं कि वे कन्डीशन्ज क्या है जो रूकावट डाले हुए है?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः वे कडीशन्ज तो आप पंजबा म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 241 में देख सकते है।

श्री अमर सिंहः क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेगे कि म्यूनिसिपल कमेटी बनाने के लिए क्या क्राइटैरिया एडौप्ट किया हुआ है?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः यह मैने अभी बताया है।

चौधरी पीर चन्द्रः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि यह कमेटिया सिर्फ पार्टी बेसिज पर बनाई जाती है या मिनिस्टर के कहने पर बनती है?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः यह तो सवाल ही पैदा नही होता।

चौधरी शिव राम वर्माः स्पीकर साहब, मै यह समझता हूं कि तरावड़ी में कोई ऐसी बात नही है जिससे कन्डीशन्ज पूरी होती हो। अगर कोई खास कन्डीशन्ज है तो कया मिनिस्टर महोदय बताने की कृपा करेगे?

चौधरी रिजक रामः क्या मंत्री महोदय यह बतायेगे कि पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 241 में जो शर्ते है उनमें कसे कौनसी शर्ते को तरावड़ी टाउन पूरा नही करता?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः मैने पहले ही बता दिया है कि म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 241 को देखे।

चौधरी रिजक रामः क्या मंत्री महोदय यह बतायेगे कि पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 241 में जो शर्ते है उनमें कसे कौनसी शते को तरावड़ी टाउन पूरा नही करता?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः वह किसी भी शर्त को पूरा नही करता।

श्री गिरीश चन्द्र जोशीः क्या सूरजपुर नोटिफाईट ऐरिया कमेटी हो गया है?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः यह तो तरावड़ी का सवाल है सूरजपुर का नही।

Under Ground Sewerage Schemes

***355 Dewan Hans Raj Suri:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) The Total number of Municipalities which are covered by underground sewerage schemes in the state at present;

(b) The total expenditure incurred on the said schemes so far; and

(c) The names of the municiplities which are proposed to be covered by the said sewerage schemes during the year 1973-74?

State Minister for Co-opeartion & Local Government (Ch. Gordhan Dass Chauhan):-

(a) 21 Municipalities are covered by partial sewerage schemes

(b) 250 lakhs approximately

(c) 1. Ambala

2. Jind

3. Kaithal

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि करनाल म्यूनिसिपल कमेटी को सीवरेज के लिए कितना कर्जा दिया गया है?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः इसके लिए अगर अलहदा नोटिस देकर पूछेगे तो बता दिया जाएगा।

राव अभय सिंहः क्या मंत्री महोदयत बताएंगे कि जिस म्यूनिसपैलटीमें में यह स्कीमें नही चल रही है क्यों उनकों सन् 1973–74 में कम्पलीट करने के लिए प्रैफरैस दी जाएगी?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः हम ने 33 टाउन्स में सीवर की स्कीमें शुरू कर रखी है। 21 म्यूनिसिपल कमेटियों में पारशियल सीवरेजन स्कीमें बन चुकी है। और बाकी जो 13 है उनमें काम शुरू है। जैसे–जैसे फण्डज मिलते जाएंगे काम होता जाएगा।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जींद म्यूनिसिलप कमेटी में कब सीवन की स्कीम प्रौपोज हुई थी और कब तक यह खत्म होने जा रही है?

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जींद म्यूनिसिपल कमेटी में कब सीवर की स्कीम प्रौपोज हुई थी आदि कब तक खत्म होने जा रही है?

परिवहन मंत्री (कर्नल महा सिंह): मैन क्वैश्चन में तो यह बात नही पूछी गई है। लकिन इतना मै बता देता हूं कि छः लाख रूपया वहा इस काम पर खर्च हो चुका है और वहां पर पारशियली सीवर बन चुकी है और अन्दाजा है कि उसको सन् 1973–74 में पारशियली पूरा करे देगे।

चौधरी दल सिहंः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि आज कल वहां पर काम शुय है कि नही?

कर्नल महा सिंहः काम की बाबत तो मै पहले बता चुका हूं कि 33 शहरों में शुरू है जिनमेंसे 21 में पारश्यिल सीवरेज बन चुकी है।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): जहां पर सीवर की स्कीमें लागू है कई जगहों पर बीच में रेलवे लाईन आ जाने की वजअ से काम रूका पड़ा है, उस को चालू करने के लिए क्या गवर्नमैंट रेलवे अथौरटीज के साथ कोई बातचीत कर रहा है?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः जहां पर रेलवे लाईन नीचे से सीवर निकलती है वहां रेलवे अथौरटीज की मन्जूरी लेनी पड़ती है अैर उनके लिए मुनासिक कार्यवाही की जाती है।

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): My hon. frined is probadly putting the questioin with regard to sonepat. That diffuculty has been solved so far as sonepat is concerned.

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मत्री महोदय बताएंगे कि जिन म्यूनिसिपल कमेटियों को सीवर क लिए रूपया दिया गया है उनमें से कोई ऐसी भी है जिसने इस्तेमाल न किया हो?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः नही जी ऐसे कोई नही है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब इस वक्त जींद के अन्दर सीवर का काम टोटली बंद है क्या वजीर साहिब वहां पर काम शुय करवाने की कृपा करेगे?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः हम पारशियली इस साल के दौरान में बना देगे।

चौधरी गोर्धन दाल चौहानः हम पारशियली इस साल के दौरान में बना देगे।

चौधरी चांद रामः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सीवरेज के लिए जब किसी म्यूनिसिपल कमेटी को कर्जा दिया जाता है तो उसके लिए यह शर्त भी लगाई जाती है कि वह गंदी बस्तियों के

पास से भी सीवर निकाले ताकि गरीब लोगों को भी फायदा पहुंचे?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः ऐसे कोई शरायत नही होती है।

चौधरी चांद रामः क्या सरकार के पास इस किस्म की शिकायते भी आई है कि म्यूनिसिपल कमेटी कई जगहों पर जो पब्लिक हैल्थ वालों को स्कीम बना कर देती है वह उस के मुताबिक काम नही करते और अपनी मर्जी से काम करते है?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः ऐसी कोई शिकायत सरकार को नोटिस मे नही आई, हर जगर पर स्कीम के मुताबिक ही काम होता है।

चौधरी श्याम लालः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि पलवल म्यूनिसिपल कमेटी जो है वहा पर सन् 1973–73 में सीवर की स्कीम लागू करने का विचार है?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः नही जी, अभी तो नही है।

चौधरी मनफूल सिंहः क्या वजीर साहब बताएंगे कि झज्जर में जो सीवन की स्कीम चल रही थी वह बंद क्यों हो गई है?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः इसके लिए आप अलहदा नोटिस देगे तो बता देगे।

श्री अध्यक्षः कर्नल साहब आप बताना चाहते है?

कर्नल महा सिंहः हमने 33 टाउन्स में स्कीमज शुरू कर रखी है, 21 शहरों में पारशियल सीवरेज बन चुकी हैं और 12 टाऊन ऐसे है जिनमें से काम शुय हो चुका है, झज्जर भीा इनमें शामिल है लेकिन फण्ड्ज न होने कसे अभी काम नही हो सका।

श्री अध्यक्षः आप बताए कि झज्जर में काम चल रहा है कि नही?

कर्नल महां सिंहः चल रहा है।

श्री ओम प्रकाश गर्गः मंत्री महोदय ने बताया था कि 33 शहरों में सीवर का काम शुरू है। क्या वह बताने की कृपा करेगे कि उनमें कुरूक्षेत्र भी है?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): हर शहर का अगर नाम जनना चाहते है तो उसे लिए अलहदा नोटिस चोएि क्योंकि एक–एक शहर का नाम जबानी नही याद रह सकता।

चौधरी शिव राम वर्माः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ऐसी सुविधाए जो शहरों में दी जा रही है क्या गांवों में भी दी जाएंगी?

कर्नल महा सिंहः अभी नही दी जा रही।

चोधरी मनफूल सिंहः क्य सीवरेज के लिए किसी म्यूनिसिलपल कमेटी को ग्रांट भी दी गई है और अगर दी गई है तो किन–किन को दी गई है?

कर्नल महा सिंहः लेन के साथ ग्राट्स भी दी जाती है अगर डिटेल्ट चाहिए तो उसके लिए नोटिस दे दें।

Notified Area

***364 Ch. Phool Chand (Rohat):** Will the Minsiter for transport be pleased to state wheter here is nayu proposal under consideration of the Government to declare Kharkhoda Town as Notificed Area; if so, the total number of the member likely to be taken in the Notification area committee?

सहकारिता एंव स्थानीय प्रशासन राज्य मंत्री (चौधरी गोर्धन दास चौहान): नही। अब कोई ऐसा सुझाव विचारधीन नही है क्योंकि यह फैसला पहले ही किया जा चुका है कि खारखौदा में नोटफिाईज एंरिया कमेटी न बनाई जाए।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदयत बताएंगे कि इस का क्या कारण है कि उसे नोटीफाईड एरिया कमेटी नही बनाया जा रहा है?

चौधरी गोर्धन दास चौहानः इसमें भी वही बात है, अगर यह उस धारा को पूरा करेगे तो बना देगे।

कर्नल महां सिंहः इसकी वजह यह भी है कि गांव की सारी ग्राम पंचायत भी नही चाहती और उनकी आमदनी भी कम है, इसलिए नोटिफाईड ऐरिया कमेटी नही बन सकती।

चौधरी मेहर चन्दः क्या वजीर साहब ताऐगे कि नोटिफाईड एरिया कमेटी की डैफीनीशन क्या है?

श्री अध्यक्षः यह सब बातें तो चौधरी साहब एक्ट में दी हुई है।

चौधरी राम लाल वधवाः कया मंत्री महोदय बताएंगे कि अगर ग्राम पंचायत लिख कर दे दे तो उनकों आप नोटिफाईड एरिया बनाने के लिए तैयार है?

कर्नल महां सिंहः ग्राम पंचायत की तो एक कण्डीशन्ज है इसके अलावा और भी दूसरी कण्डीशन्ज है जो कि पूरी होनी चाहिए।

चौधरी चांद रामः क्या यह बात सच है कि कलानौर की ग्राम पंचायत ने लिखकर भी दिया था कि वह नोटीफाईड एरिया न बनाया जाऐ लेकिन आपने फिर भी नोटिफाईज एरिया बना दिया?

कर्नल महा सिंहः इसके लिए अगर आप नाटिस दे तो बता दिया जाएगा।

***221 Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister for Industries be pleased to state the terms and conditions for the allotment of plots in sector-19, Faridabad?

Industries Minister (Sh. Harpal Singh): The terms and conditions for the allotment of plots in Sector-19 at Faridabad, are place don the Table of the House.

Terms and Conditions for the sale of Residential plots in Sector- 19 Faridabad

In Sector-19 of Faridabad, plots of 160 sq. yds, 250 sq. yds, and 350 sq. yds, were officered for sale. Terms and conditions for sale were laid down as follows:-

Application will be received in three categories up to 23rd March, 1973 and there would be different prices and different systems of allotment for each category. An additional amount of 10% of the total tentative sale price shall be payable for preferential (corner) plots.

I-Category-In the first category applications will be received iron those who pay 100% tentative sale price of the plot with the application. The tentative price will be Rs. 50 per sq. yar.

Applicants in the category will be entitled to choose and plot out of the vacant plots at the time of giving the associations and the plots will be allotted/earmarked by the Estate Officer according to the preferences indicated by the applicants. The layout plan showing the number of available plots will be exhibited in the office of the Estate Officer, Faridabad. The plots will be allotted on the principle of “First

come, first served." Applications in this category will be entertained from 1st February, 1973. Any application given before this day would be put at the end of all the applications received in the first day i.e. 1st February, 1973. An application received by post on a particular day will be put at the end of the applications given by hand/personally in this category on that day.

II-Category-In the second category, applications will be entertained from 1st February, 1973. Application will be required to pay 50% of the total tentative price of the plot with the application and the balance in two equated annual installments with interest at the rate of 7% P.A. The tentative price to be charged from this category will be Rs. 52 per sq. yard.

A maximum of 70% of total available plots will be reserved for the above 1St and IInd categories. Applicants in the first category will have preference for allotment and the plots remaining un allotted after meeting their demand will be allotted to the applicants of second category on "First come First Served' basis. If the number of applications falls short of the number of plots reserved in these two categories, the balance will be carried over for allotment in the IIIrd category.

III-Category-In the third category, applicants will be required to pay 25% of the total tentative price of the plot with the application and the balance in six equated annual installments with interest at the rate of 7% P.A. the price to be charged from this category of applicants will be Rs. 54 per sq. yard.

A minimum of 30% of available plots will be reserved for this category.

The allotment of plots will be made under the Punjab Urban Estates (Development and Regulations) Act, 1964 and the Rules framed there under:-

Application for the purchase of a plot shall be made on the prescribed form only and it shall be accompanied by a demand draft according to the rate mentioned above. The draft shall be in the name of the Estate Officer, Faridabad an drawn on any scheduled Bank state of at Faridabad.

Allotment of plots will be on free hold-full ownership basis. Intimation of allotment will be given by letter under registered cover or delivery by hand.

Applicants can refuse of accept the allotment within 30 days from the date of issue of allotment letter. If the offer of allotment is refused in time, the amount paid by an applicant wills b refunded to him.

All refunds will be made by cheque payable at the state bank of India and no collection charges will be paid. Applicants can withdraw their money before allotment is made. No. interest shall be payable on any money of the applicants held up boor lying with the Government. The possession of the plot can be delivered within three months of the date of allotment and all the development works will be completed at the earliest. The allotted shall execute a deed of conveyance on the prescribed from immediately after the allotment. The allotted shall complete the building on the plot

within three years from the date of allotment in accordance with the rules regulating the erection of buildings.

The allotted shall not transfer the plot or any interest in it by sale, mortgage, lease or otherwise without the prior written permission of the estate officer.

श्री के.एन. गुलाटीः आपने पहली कैटेगरी में बताया है कि जो सैट परसैंट कीमत अदा कर देगे उनसे 50 रूपए गज के हिसाब से कीमत ली जाएगी। दूसरी कैटगरी में जो 50 फीसदी एडवांस पे करेगो उनसे 52 रूपया फी मुरब्बा गज के हिसाब स वसूल किया जाएगा और तीसरी कैटगरी वह है जिनसे 25 परसैट पहले लिया जाएगा, उनकों 54 रूपए पर स्केयर यार्ड के हिसाब से प्लाट दिए जाएंगे। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जब हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे है तो क्या पहली और दूसरी कैटेगरी को खत्म करके तीसरी कैटेगरी के मुताबिक सबको प्लाट दिए जाएंगे?

श्री हरपाल सिंहः नही, ऐसा पौसीबल नही है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि यह जो फरीदाबाद में और दूसरी इन्डस्ट्रीयल कालोनीज है वहां उनकों कनवेएंस डीडज सालों गुजरने के बाद भी नही दिये जा रहे है। इसकी क्या वजह है?

श्री हरपाल सिंहः यह प्रश्न इससे उठता नही लेकिन यह गल्त बात है।

श्री के.एल. गुलाटीः वजीर साहब ने कहा है कि पौसीबल नही है। तो क्या वह बतायेगे कि यह जो गरीब और मिडल क्लास के लोग है वे कहां जायेगे?

श्री हरपाल सिंहः 25 फीयदी पैसे देने वालों के लिये हमने 30 फीसदी प्लाटस रखे है अैर बाकी पैसा उन्होने 6 इन्स्टालमैट्स में देना है। इय इसलिए किया है कि हम एरिया को जल्दी डिवैल्प करना चाहते है और इसके लिए पैसा चाहिए। अगर पैसा न हो तो डिवैल्पमैंट जल्दी नही हो सकती और फिर लोग भी इस बात क`लिये शोर मचा रहे है कि उसकी जल्दी डिवैल्पमैंट होनी चाहिए।

श्री हरि सिंहः क्या वजीर साहब बतायेगे कि फरीदाबाद में आज तक जितने सैक्टर बने है क्या उनमें कोई ऐसी कंडीशन थी और अगर नही थी तो इसी सैक्टर के लिये क्यों लागू की गई है?

श्री हरपाल सिंहः कौन सी कंडीशन?

श्री हरि सिंहः यही कंडीश्नज जो आपने कैटेगरी एक और दो के लिये रखी क लये रखी है कि जो सारे पैसे रदेगे और आधे पेसे दे देगे उनकों प्लाट दे देगे। दूसरी सैक्टर्ज में जो पहले प्लाट अलाट हुये है। उनमें यह बात नही थी। उसमें यह बात नही थी। उस में यह था कि पहले 25 फीसदी पैसे दे दो और बाकी 6 इनस्टालमैंटस में और इस तरह गरीब और मिडल क्लास के लोग

प्लाट ले सकते थे। मै जानना चाहता हूं कि अब 19 सैक्टर में यह स्पैशल कंडीशन क्यों रखी है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इसमें मच्छर बहुत कम है। (हंसी)

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या वजीर साहब बतायेगे कि इस अलाटमैंट में क्या हरिजनों के लिए भी कोई रिजर्वेशन है और अगर नही है तो क्या करेंगे?

श्री हरपाल सिंहः इसमें कोई रिजर्वेशन नही है।

चौधरी दल सिंहः क्या वजीर साहब बतायेगे कि यह जै सैक्टर 19 में प्लाट फरोक्त किये जा रहे है यह जमीन किस भाव पर एक्वायर की थी?

श्री हरपाल सिंहः वह तकरीबन 4 रूपये पर स्केयर यार्ड पर की गई है।

चौधरी पीर चन्दः क्या वजीर साहब बतायेगे कि क्या दूसरे सैक्टर्ज में मच्छर ही रहते है इन्सान नही रहते है?

श्री अध्यक्षः इन्सानों के साथ ही मच्छर रहते है।

चौधरी पीर चन्दः उन्होने कहा कि 19 सैक्टर में मच्छर नही है–

श्री अध्यक्षः वह तो ज्यादा कम की बात थी।

श्री अमर सिंहः वजीर साहब ने बताया है कि चार रूपये पर स्केयर यार्ड से ली है। तो मै जानना चाहता हूं कि बेची किस भाव से जा रही है?

श्री हरपाल सिंहः जिस भाव पर ली जाती है उसके बाद उस पर बहुत ज्यादा खर्च सरकार का उसकी डिवैल्पमैंट पर आता है सरकार यह काम कोई प्राफिट के बेस पर नही करती सारा खर्च जो आता है उसे फैला कर प्लाट्स पर लगा दिया जाता है।

चौधरी दल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि आपका पर स्केयर यार्ड डिवैल्पमैंट पर कितना खर्च आता है?

श्री हरपाल सिंह : इसमें ऐसा होता है कि जो एरिया एक्वायर होता है उसमें से काफी एरिया रोडज, स्कुल्ज, ओपन स्पेसिज वगैरा के लिये छोड़ दिया जाता हैं। बाकी जो कमर्शियल और रैजीडैंशल एरिया होता है उस पर यह सारा खर्च और डिवैल्पमैंट का खर्च डाल कर प्लाट्स पर फैला दिया जाता है इसलिये उस पर खर्च ज्यादा बढ़ जाता है। तो 19 सैक्टर में तकरीबन इस पर 50 रूपये स्केयर यार्ड का खर्च हो रहा है ।

चौधरी दल सिंह : क्या सरकार यह प्लाट्स नो प्राफिट नो लास पर फरोख्त कर रही है या प्राफिअ पर कर रही है ?

श्री हरपाल सिंह : इस में प्राफिट वाली कोई बात नहीं है। प्राफिट का थोड़ा सा मारजन रखा भी जाता है क्योंकि

एक्वायर जमीन हो जाने के बाद कम्पैनसेशन बगैर और बढ़ाने के लिये लोग हाई कोर्ट में भी चले जाते है यह बात भी ध्यान में रखनी होती है और दूसरी बात यह है कि प्राइसिज भी दिनों दिन हर चीज की बढ़ती जा रही है और डिवैल्पमैंट का खर्च बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा सा मारजन रख लिया जाता है इन बातों के लिए।

Steel Mortar Tank

***226. Shri Amar Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Executive Engineer, Irrigation Petwar Division No. I, Headquarter at Hansi, purchased any Steel Mortar Tank during the year 1971-72, for the lining of the Petwar Distributory without any formal tender ; if so, the reasons therefor together with the difference of purchase price and the markedt rate thereof at the time of tha said purchase ?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(i) No.

(ii) The question does not arise.

श्री अमर सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि क्या कोई स्टी मार्टर टैंक खरीदा ही नहीं गया और .....

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चटठ्ा : खरीदा गया।

श्री अमर सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगें कि वह कहते है कि टैंडर से लिया नहीं गया तो किस तरीके से खरीदा गया और कंहा से खरीदा गया?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चटठ्ा : मैंने यह तो नहीं कहा कि टैंडर से नहीं लिया। पांच पार्टीज ने टैंडर दिये और जो सब से लोयस्ट टैंडर था उस को भी लो करके लिया गया।

श्री अमर सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि उस वक्त मार्किट में प्राईस क्या थी और किस हिसाब से लिया गया?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चटठ्ा : स्पीकर साहब हमारे पास पांच टैंडर आये थे। एक टैंडर 229 रूपये का, दूसरा 227 रूपये का, तीसरा 219 रूपये का चौथा 215 रूपये का और पांचवा 185 रूपये का था। लेकिन इस के बाद भी हमारे अफसरान ने नैगोशिएशन करके इससे भी पांच रूपये कम दिये और 180 रूपये में लिया।

Labour Colonies

***243. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Minister for Finance be Pleased to state –

(a) the total number of Housing Colonies constructed inthe State for the labour during the last 4 years ending with 31st December, 1972;

(b) the places where such labour colonies have been constructed together with the total number of houses constructed at each place; and

(c) whether all the houses referred to in part (b) above have been allotted to the workers; if so, the reate of the rent thereof?

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital)

(a) Two.

(b) 224 houses at Ganaur and 138 houses at Bhiwani.

(c) Yes. The rate actually charged varies from Rs. 12 to Rs. 24 p.m.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इसमें कुल कितने वरकर्ज आबाद किये है और वे किस इन्डस्ट्री से सम्बन्ध रखते है ?

श्री राम सरन चन्द मित्तल : यह तमाम मकान अलाट हो चुके है।

चौधरी राम लाल वधवा : कितने वरकर्ज को अलाट किये है ओर वे किस इन्डस्ट्री के है ?

श्री राम सरन चन्द मित्तल : यह अलाटमैंट एक कमेटी करती है जिसमें एम्पलायर्ज के दो तीन नुमाइंदे होते है, वरकर्ज के होते है और उसका आफिशल चेयरमैन होता है।

श्री अध्यक्ष : मित्तल साहब, वह पूछते है कितने अलाट किये .....

चौधरी राम लाल वधवा: और यह भी कि कितने वरकर्ज को अलाट किये है और वे किस इन्डस्ट्री के हैं ?

श्री राम सरन चन्द मित्तल : यह तमाम लेबरर्ज को अलाट हुए है।

चौधरी दल सिंह : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जींद में भी लेबरर्ज की तादाद बढ़ रही है, क्या वहां पर भी हाउसिंग कालोनी बनाने का सरकार विचार रखती है ?

श्री राम सरन चन्द मित्तल : यह माकन जो बनते है ये गवर्नमैंट आफ उन्डिया की एक स्कीम के तहत बनते है और वह यह है कि इन्डस्ट्रीज वाले जो एम्पलायर्ज है वे कालोनी बपाने के लिये एप्लाई करते है और सरकार उनको इस के लिये सबसिडी और लोन दे देती है। अगर जींद में कोई फैक्ट्री वाले एम्पलायर्ज एप्लाई करेंगें तो सरकार केस कन्सिडर करेगी।

श्री गुलाब सिंह जैन : क्या वहीर साहब बतायेंगें कि सरकार की हिसार में इस तरह की कालोनी बनाने की तजवीज है?

श्री राम सरन चन्द मित्तल : हमारे पास चार साल में कोई ऐसी एप्लीकेशन वहां से नहीं आई जो एम्पलायर्ज कहें कि वह बनाना चाहते है।

श्री के0एन0गुलाटी : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि फरीदाबार लेबर एरिया है और वहां पर 10 हजार झुग्गियां और पांच हजार खोखे है। क्या उनके लिये सरकार स्पैशल लेबर कालोनी बनाने का इरादा रखती है?

श्री राम सरन चन्द मित्तल : यह सवाल हाउसिंग बोर्ड से ताल्लुक नहीं रखता है। जो हाउसिंग बोर्ड मकान बनाता है वह अलैहदा बात है। ऐसे मकान जिनकी आप बात करते है हाउसिंग बोर्ड नहीं बनाता है।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वजीर साहब बतायेंगके कि यह अलाटमैंट करने के लिये काइटेरिया क्या बनाया हुआ है?

श्री राम सरन चन्द मित्तल : इसका काइटेरियायही है कि जो फैक्टरी ऐक्ट के अंडर लेबरर्ज होते है उनको जो मकान एम्पलायर्ज बनाते है उन्हें वह कमेटी की मारफत अलाट करते है।

चौधरी राम लाल वधवा : लेबरर्ज तो सारे ही मकान के लिये एप्लाई करते है लेकिन उनमें से कुछ को तो दे दिये जाते है और कुछ को नहीं दिये जाते । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सिलैक्शन करने का काइटेरिया क्या है?

श्री अध्यक्ष : वह तो उन्होनें बता दिया है कि एक कमेटी बनी है एम्पलायर्ज और वरकर्ज की और वह अलाट करती है।

चौधरी राम ला वधवा : यह देखते तो होंगे कि अलाटमै।ट दुरूस्त है या नहीं ?

श्री राम सरन चन्द मित्तल : अलाटमैंट के लिये मैंने बताया है कि दो तीन एम्पलायर्ज के नुमांइदे होते है और एम्पलाएर्ज के भी होते है और एक आफिशियल चेयरमैन होता हैं यह कमेटी अलाटमैंट करती है।

चौधरी चांद राम : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इस चीज को ठीक तरह रैगुलेट करने के लिये कि अलाटमैंट ठी हो कोई लाटरी वगैरा का तरीका अख्तियार करने के लिये सरकार तैयार है?

Shri Ram Saran Chand Mital : This is for that committee to decide.

चौधरी चांद राम : उस कमेटी में एम्पलायर्ज ओर एप्पलाइज के हिमायती और सिफारिशी हो सकते है। तो इस बात को खत्म करने के लिये कि किसी से फेवर न हो सरकार कोई ऐसा तरीका अख्सियार करना चाहती हैं क्यांकि इसमें गवर्नमैंट भी सबसिडी, लोन वबैरा देती है और उसका भी इस में इन्ट्रैस्ट है। इन लोगों के इन्ट्रैस्ट को सेफगार्ड करने के लिए सरकार ने क्या तरीका अख्सियार किया है?

श्री राम सरन चन्द मित्तलः अलाटमैट के लिए एम्लायर्ज और एम्पलाईज के नुमाइंदों की एक कमेटी बनाई हुई है यह

कमेटी अलाट करती है, शिकायत का कोई सवाल पैदा नहीं होता ।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मत्री महोदय बतायेंगे कि जो कमेटी बनाई हुई है.....जिन के आधार पर वह अलाटमैंट करती है?

श्री राम सरन चन्द मित्तल : अलाटमैट रूल्ज और रैगूलेशन के मुताबिक होती हैं।

Delinquent Childern

***293, Shri Hari Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) whether the Government has taken any steps for the care of delinquent children in the State; and

(b) if so, the details thereof ?

Development Minister (Shri Shyam Chand) :

(a) Yes, Sir.

(b) The East Punjab Children Act, 1949 was put into efect or 2nd October 1969, with the object of tacking the problem of Juvenile delinquency. A Certified School and a Juvenile Court have been set up at Mahuban (Karnal).

Problem services under this Act are also being rules 6th rendering expert advice for tackling the prolem of child and for his rehabilitation.

The present strength of inmates is 18.

नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्न लिखित उत्तर ।

Irrigated Area

***298. Rao Abhai Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total canal irrigated area in the State during the years 1967-68 and 1972-73, separately;

(b) the total area irrigated through tube-wells in the State during the years 1967-68 and 1971-72, separately : and

(c) the approximate total area to be increased by canal irrigation and by tube-well irrigation during the year 1973-74?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल):

(क) 1967—1968 3390850 एकड़

1972—73 इस समय सिंचाई आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि रबी फसल का वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है।

चौधरी बंसी लाल

(ख) **1967–68** 582173 एकड़

1971–72 1297022 एकड़

(ग) 1973–74 नहरों द्वारा 97000 एकड़

नलकूपों द्वारा 280000 एकड़

भिवानी लिफट सिंचाई योजना

301 चौधरी राम प्रसादः क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाऐंगे –

(क) किस तारीख को सिवानी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा राज्य में चालू हुई :

(ख) इस स्कीम से जिन स्थानों को लाभ होगा , और

(ग) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में इस स्कीम से जितने रकबा को लाभ हुआ उसका अलग–अलग ब्यौरा दिया जावे?

चौधरी बंसी लाल : इस स्कीम का कुछ हिस्सा 30 जुलाई 1972 को चालू किया गया। जिला भिवानी की तहसील भिवानी, बवानीखेड़ा और लोहारू के सूखाग्रस्त इलाकों को इस योजना से लाभ होगा। 1970 और 1971 के सालों में योजना चालू नहीं हुई थी।

1972 3508 एकड़।

बीबीपुर झील

302. चौधरी ब्रिजलालः क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(क) बीबीपुर लेक , दरया मारकडा के बाढ़ के पानी को किस हद तक इकट्ठा करने में समर्थ होगी,

(ख) इस प्रकार इकट्ठा किया गया पानी कितने क्षेत्र की सिंचाई करने में समर्थ होगा, और

(ग) इस योजना से जिन स्थानों को लाभ होने की संभावना है उनका नाम क्या है?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल):

(क) दरया मारकंडा तथा सरस्वती की बाढ़ का 81000 एकड़ फुट पानी बीबीपुर झील में इक्ट्ठा किया जावेगा।

(ख) 33600 एकड़ के लगभग फसल रबी में सींची जावेगी।

(ग) बीबीपुर झील प्रोजैक्ट का पानी जिला करनाल के अतिरिक्त रोहतक, हिसार तथा भिवानी जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के प्रयोग में लाया जाएगा।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 पर शिक्षामंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री अध्यक्षः अब शिक्षा मन्त्री महोदय राव दलीप सिंह, श्री अमर सिंह तथा राव बंसी सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य देंगे।

Education Minister (Shri Maru Singh Malik): Sir, Sarvshri Amar Singh, Rao Dalip Singh and Rao Bansi Singh, M.L.As have moved a Call Attention Motion or teachers' strike. It was admitted on the 6th March, 1973. I rise to make a statement in this regard.

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, अगर शिक्षा मंत्री महोदय अपनी स्टेटमैंट हिन्दी में पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मंत्री महोदय को कोई ऐतराज न हो तो हिन्दी में पढ़ दें ताकि सब सदस्य समझ सकें।

श्री अध्यक्षः यह वक्तव्य इन्होनें अंग्रेंजी में तैयार किया हुआ है—(व्यवधान)

चौधरी रामलाल वधवाः ये शिक्षा मंत्री है, बहुत जल्दी अनुवाद कर सकते है ——(व्यवधान) चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि सवाल पूछने वालों का इम्तिहान ले तो अब मंत्री भी तुरन्त अनुवाद कर दें , ताकि इनका भी इम्तिहान हो जाए।

श्री अध्यक्षः इन्होने काल अटैन्शन नोटिस भी अंग्रेजी में ही दिया है और मंत्री महोदय ने मूल वक्तव्य भी अग्रेंजी में तैयार किया हैं इसका ट्रांस्लेशन तैयार करने में बड़ी देरी लगेगी.....

ग्रह मंत्री(श्री के0एल0पोसवाल): ट्रांस्लेशन बाद में पहूंचा देगें चौधरी साहब को।

Shri Maru Singh Malik: For sometime past some school teachers in Haryana under the aegis of the so called 'Haryana Rajkiya Adhyapak Sangh' have been making representations to the Government demanding change in the policy of posting of teachers beyond 20 miles, enhacement of their emoluments and granting of some other benefits. Towards the acceptance of these demands, some of the teachers under the directions of the acceptance of these demands, some of the teachers under the directions of the Haryana Rajkiya Adhayapak Sangh have been adopting all types of agitational and demonstrative methods; such as, wearing of black badges, holding rallies and demonstrations at district level and a state level rally at Rohtak on 14th January, 1973. On the evening of 13th January, 1973, the Action Committee of that Union took a decision to exhort the teachers to resort to stay-in-strike with effect from 12th February, 1973. On 14th January, after the rally and a demonstration at Rohtak, the office-bearers of the Sangh presented a charter of demands to the S.D.M. Rohtak fro forwarding it on to the Government for further necessary action. They also circulated this Memorandum of Demands to different quarters. The demands are listed as under:

(1) Award of pay-scales on Delhi pattern.

(2) Grant of Dearness Allowance to teachers on the scale admissible to other Government employees.

(3) Cancellation of the policy of posting of teachers beyond 20 miles of their homes.

(4) Stoppage of victimisation of the office bearers of the Union.

(5) Grant of House Rent Allowance without any condition to all teachers.

(6) Grant of Medical Allowance at uniform rates.

(7) Free education of the wards of teachers upto Univeristiy level.

(8) Grant of pension to provincialised teachers .

(9) Grant of Trade Union Rights to teachers.

(10) Grant of civil rights to teachers.

(11) Representation of elected teacers on Haryana Education Board.

(12) Grant of Second Interim Relief from 1st August, 1972.

After a through examination and due consideration, Government feels that there is no substance in these demands.

Government's views on these demands are summarised below:-

1. **Revision of grades on Delhi Pattern.**

No State in the country including Punjab has given grades to their teachers on Delhi Pattern. Delhi is a metropolitan city, where cost of living is much higher. So Delhi Administration has given higher grades to their employees. The grades of teachers are also higher than those recommended by the Educaiton Commission. Giving of grades on Delhi Pattern to Haryana teachers would entail an expenditure of more than 4 crores to the Exchequer. Moreover, other Government employees would also demand pay on Delhi Pattern which is not possible.

The grades of teachers in Haryana were revised with effect from Ist December, 1967 according to the recommendations of the Kothari Commission. They are comparable with the grades in the Statae of Punjab and Himachal Pradesh etc. and are better than most of the states in the country. In the case of teachers (Matric with J.B.T.) total emoluments in Haryana are better than all the states except Punjab, Rajasthan and Maharashtra. In the case of Master (B.A., B.Ed) Haryana emoluments are better except those of Punjab and Kerla. For Lecturers in schools, they are highest in the country except Punjab.

Teachers and Masters in Haryana are enjoying better pay-scales than clerks and Assistants working in the State. They have also to work for lesser number of hours (1391

hours per year) as compared to other employees in the State (1763 hours per year).

2. **Sanctioning of Dearness Allowance to the Teachers like other employyes in Haryana State.**

The grades of pay of teachers revised from Ist December, 1967 as per recommendations of the Kothari Commission, included the Dearness Allowance as admissible on Ist November, 1965. Therefore, the dearness allowance admissible at that time became part of the pay of teachers. This was as per recommendations of the Kothari Commissions as follows:-

> Note (a) (Page51 of the Report)
>
> The above sclaes of pay for school teachers are at the current price level and *include the existing dearness allowance.* Suitable increase will, however, have to be made fro rise in prices from time to time. For this purpose, there should be parity in dearness allowance i.e. the dearness allowance in any given year should be the same as it is paid to Government servants drawing the same salary.

As Dearness Allowance was already included in the pay of the teachers, the question of paying it again separately does not arise. It would have amounted to double benefit.

Every subsequent increase in Dearness Allowance and Interim Relief etc. given to all other employees from 31st

December,1966 onwards has also been given to teachers. Thus no discrimination has been exercised against them and they are being treated at par with other government employees in this regard since the revision of their grades.

It may be stated that two Civil Writs for grant of Dearness Allowance existing before Ist November, 1966 in addition to Revised Pay (in which this D.A. was already included) were filed in Punjab & Haryana High Court by the Tearchers and were dismissed by the Honourable Court.

The relevant excerpts from Judgement in Civil Writ No. 2926 of 1969, dated 16th July, 1971, are as under :-

".....I find that in the case of Government servants, other than the teaching personnel of the Education Department of the Haryana State, the scales of pay were revised so as to include only the dearness pay in the basic pay of the employees..." (In the case of teacher)....."The revised scale of pay at Rs. 125, was allowed after taking into considertion the additional dearness allowance of Rs. 15.50 and in addition thereto a benefit of another Rs. 6.50 was given to the J.B.T. teachers probably for rounding of the figure of the basic pay..." There is thus no discrimination between the teaching personnel and the other Government servants drawing the same scale of pay.....The teachers were also given the option of reatining their previous scales of pay, if they considered them more advantageous and that option was to be exercised within six-months.....A submission has been made on behalf of the petitioners very vigorously by their learned counsel that the deduction made out of the dearness allowance in acordance with the rates specified in

the Annexure to the letter dated January 5, 1968 amounts to withdrawint the benefit of enhanced pay which was allowed to them in implementation of the recommendation of Kothari Commission, that is the State Government gave benefit with one hand and withdrew it with the other. In view of what has been stated above, there is no substance in this submission, partiucularly when the parity between the tearchers and other Government servants, which was emphasised by that commission, has been maintained. There is thus no merit in the contention of the petitioners that they shoud bel allowed the dearness allowance on the scale as is being allowed to the other Government serants drawing the same amount of salary. They have already been given the benefit of the preivious allowance in their revised scale of pay and in order to keep them at par with their counterparts in other Deparments, the State Government was perfectly within its right to prescribe the deductions to be made out of the dearness allowance fixed fro Government servants from time to time.

3. **Transfer Policy**

It was during the year 1968 that the present policy regarding transfers of the teaching personnel was formulated by the State Government. Under this policy , men teachers borne on the district cadre were transferred beyond 20 miles of their home places, and headmasters and masters outside their home districts and 20 miles away from their home places. This decision was taekn by the Government after mature deliberation since there were complaints that teracher working near their home places did not attend to their duties punctually and regularly and were also taking part in local

polotics. This tendency adversely affected the education of students and it was required to be curbed.

4. **Victimisation of Office bearers of Haryana Adhayapak Sangh.**

Shri Sohan Lal, Shri Ram Dutt Sharma, and Shri Tara Chand, Presidnet, General Secretary and Office Secretary respectively of the Union openly indulged in the criticism of the Haryana Government and its polices thereby infringing the Government Servants Conduct rules. They were charge-sheeted and were censured for this mis-conduct.

5. **Payment of House Rent Allowance to teachers without any condition.**

There are certain rules for payment of house rent allowance to all Government employees including teachers. Any deviation from these rules allowing house rent allowance to teachers without any condition would amount to discrimination as also infringement of Government Rules.

6. **Grant of Medical Allowance to teachers at flat rates**

This is a fantastic demand. Government employees including teachers are allowed reimbursement of medical biils. To claim medical allowance at flat reates by the tearchers is not at all justified and proper.

7. **Education of the teachers wards should be free upto University level.**

There is already a provision of free education to the wards of the teachers whose basic pay is below Rs. 350.00 P.M. (Rs. 4200.00 P.A. upto higher secondary stage. The demand for free education to teachers wards upto University level is not genuine. There are other low-paid Government employees also who can claim the same privilege. More over no State in the country has provided for free education to teachers wards up to highest level irrespective of income consierations.

8. **Pensionary benefit to Local Bodies Schools employees.**

The matter is already under consideration of the Haryana Government.

9. **Trade Union rights to teachers.**

Teaching is not a trade. It is a profession and a noble profession for that. Any person who gives up teaching and resorts to agitations methods ceases to be a teacher and is a slur on the profession. To demand trade union rights for teachers id degrading the profession. The future of the nation lies in the hands of dedicated teachers upon whom lies the responsibility of providing really good and fruitful education to the children so as to make them good citizens.

Teachers in Haryana have formed several Unions, such as Haryana Rajkiya Adhyapak Sangh, Progressive Teachers Union, Hindi Teacher Union, Sanskrit Teachers Union, Provincialised Teachers Union, State Cadre Teachers Union, Physical Training Instructors' Union. Government have

recognised none of theses unions and have no intention of granting recognition to any of them.

Government can no doubt, consider the recongnition of any teachers organisation formed for the improvement of education etc. in the ligh of the recommendations of the Education Commission.

10. **Civic Rights to Teachers.**

If by civic rights the memorialists mean the right to take part in elections, the Government cannot concede this right to teachers. According to Government Servants Conduct Rules, no government employee is entitled to dabble in politics. Teachers have, however, a right of representation on academic bodies, like the University, Senate, Syndicate etc. Teachers have also been given representation on School Board of Education.

11. **Elected members from teachers should be taken on the Haryana Education Board.**

Sufficient representation (4 out of 9 non-officials) has been given to the teachers on the School Board of Education. Election of teachers' representative on the School Board of Education is not thought desirable.

12. **Grant of Interim relief to all employees in Haryana w.e.f. Ist August, 1972, like Central employees and other employees in various States.**

This demand does not relate to teachers alone but releates to all employees in the State.

It will thus be observed that hardly any of these demands justify recourse to a Strike particularly when the examinations are so near. A very appreciable number of dedicated teachers decided not to associate themselves with the strike, and are woeking regularly in Schools.

Misguided and misled by and with the active connivance os some disgrunted politicians, some of the teachers started chain hunger-strike before the residence of the Chief Minister, with effect from 23rd January, 1973. They also extended their activities beyond the boundaries of Haryana and started similar hunger-strike in batches at the Boat Club, New Delhi with effect from 30 January, 1973. As a result of these hunger-strikes the situation became very tense all over the State and threatened a complete paralysis of school education in the entire state. The active workers of the so-called teachers union started going about in schools, instigatinig teachers to resort to pen-down strike from 12th Feb., 1973. They used coereive methods including use of physical force against the teachers who did not agree with them. This posed a threat to peace and tranquillity besides being harmful to the studies of lakhs of students studying in Government Schools. Government could not just be a silent spectator and allow the agitators to distrub peace. It, therefore, became necessary to take preventive measure and arrest some of the agitators.

The Government also, through posters and personal persuasion by field officers, brought home to the teachers, the futility and hollowness of these demands and urged upon them to attend their duties punctually and faithfully especially

when the academic session was in full swing and the examinations were so near. Precautionary measures also had to be taken to guard against the exercise of undue influence and holding of threats to the faithful teachers. The teachers were also clearly told that if they absented themselves from duty without sufficient cause, they would render themselves liable to disciplinary action under rules. This action of the Government has a salutary effect. A large number of teachers abstained from taking part in the strike. It is a matter of great satisfaction that 75 per cent teachers have continued to work properly. Examinations of Middle Standard Scholarships were conducted throughout the State peacefully on 21st Feb., 1973. Middle School Examinations have also been conducted peacefully all over the State.

The Government have not received any reports regarding alieged mal-teatment to the teachers during this strike. On the other hand, Government have received reports of harasment, intimidation and threats posed by the members of the Union or their supporters to some faithful teachers including lady teachers. The Government have been throughout alive to their responsibility ensuring the smooth functioning of schools and accordingly it became necessary to make immediate appointments of substitutes wherever teachers were found absent or were relieved by terminating their services.

A comparison of the action taken on the resommendations of the Education Commission 1964-65 by different States, vividly reveals that Haryana has given much better monetary benefits to the teachers while revising their

scales of pay as compared to most of the States in India, whatever additional benefits by way of enhacement of Dearness Allowance intrim releif, ad-hoc relief etc. have been given since the formation of Haryana to other Government employees have also been given to the teachers who thus have no grounds to feel discontented in this regard.

A writ petition filed by some of the Union lenders challenging the action taken by the Government as a preventive measure was filed in the High Court of Punjab and Haryana. The Hon'ble Court while dismissing the writ petition on 12-3-73 has made following observations justifying the action of the Government.

"It would thus be seen that only orderly demonstrations have been held to be governed by the clauses I (a) and I (b) of Article 19 and rule which prohibits the Government Servnat to go on strike has been upheld. When the action of the petitioners is reviewed in the light of these principles, it becomes obvious that as soon as their Union devided to go on strike, which meant "no education. no examination" as also to hold chain hunger strike before the residence of the Chief Minister, their activities fell outside the scope of the rights ruaranteed to them under Article 19 of the Constitutions. The Executive Government which is answerable for its actions to the State Legislature, was then duty bound to step in and take remedial measures for curbing the activities of those whose actions had placed almost the entire educational system in the State in jeopardy. I do not for a moment suggest that the State Government in these circumstances could take any action whether warranted by law

or not, while dealing with the ordinary citizens, it could act under these provisions and also under its executive powers vested in it under Article 162 of the Constitution apart from its power under the service rules framed under Article 309. This is what precisely has been done in the instant case. There is considerable force in the contention of Mr. Kaushal when he submits that the Government instead of taking any drastic action has merely exercised its right to transfer the ring leaders to out of the way stations so that they may thus become ineffictive and also be unable to exert any influence on their colleagues. Again it has no where been averred in the petition that the petitioner's rights to assemble peaceably and to carry on the agitation at the places of their respective posting has been infringed by the Government. On the other hand, in the return filed on behalf of the repondents, it has been categorically mentioned that no impediments have been put in the way of the teachers to hold demonstration at their respective places of poting. The Constitution does not guarntee the petitioners to carry on an agitation at the places of their own choice which they may like to visit in contravnetion of their service rules. In my considered opinion, the transfer of the petitioners in the circumstances of this case does not invade any of their fundamental rights.

In deed, it was not disputed by the learned counsel for the petitioners that in case the actions of the petitioners travelled beyond the scope of their fundamental rights guarranteed under article 19 and if their consequent actions stood in the way of the avowed policy of the State Government, then the latter would be within its rights to place curbs on the activities of the petitioners. He has, however, submitted that

the State Government should not have taken action in advance and should have proceeded against those whose activities awre found prrdudicial as a matter of fact. I am afraid, I am unable to subscribe to this view because if the existence of evil is admitted then it has to be nipped in the bud instead of allowing it to blossom forth. It is often said that "prevention is better than cure" and I see no reason why the State Government should be debarred from acting on this age old adage in dealing with the problems which it is concerned with."

The public of Haryana has disapproved the decision of the teachers to go on strike and has very much appreciated the prompt action taken by the Government Against the striking teachers and thus serving intrest of the student community. Government is very much thankful to the people of Haryana for the active co-operation they have given to the Government maintaining law and order, thus making the smooth running of schools possible. (Thumping from Treasury Benches)

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, यह जो स्टेटमैंट दी गई है यह हालात के मुताबिक नहीं हैं यह जो कहा है कि एजीटेशंन ना कामयाब हुई है .....(विघन्)

(इस समय कई मैम्बरों ने बोलना शुरू कर दिया)

श्री अध्यक्षः एक समय पर एक ही मैंम्बर बोले.....(विघन्)

बहिर्गमन

चौधरी चांद रामः यह स्टेट पालिसी के विरूद्ध हुआ है, इसलिए हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक–आउट करते है।

(इस समय चौधरी हरद्वारी लाल तथा चौधरी चान्द राम सदन से वाक–आउट कर गये ।)

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, अर्ज यह है कि यह जो कह रहे है कि यह अनजस्टिफाइड डिमांड.....(विघन्)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता।

चौधरी दल सिंहः जो पैम्फलेट अन–जस्टिफाईड डिमांड के नाम से गवर्नमैंट ने पहले तकसीम किया है, तकरीबन उसका तर्जुमा ही यहां स्टेटमैंट के तौर पर आया है और ऐसे ही हाउस के अन्दर यह बात कह देना .....(विघन् तथा शोर)

श्री अध्यक्षः मैनें साफ कह दिया है कि रूल्ज के तुताबिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दिए गए वक्तव्य पर डिस्कशन नहीं हो सकती। आप यह रूल देख लीजिए। .....(व्यवधान)

चौधरी दल सिंहः ये कितनी मिस–लींडिग बात कर रहे है। 14 हजार टीचर गिरफतार हैं .....(शोर तथा विघन्) और यह कहते है कि कुछ भी नहीं।

श्री अध्यक्षः आप को जब बोलने का मौका मिले तो आप इस को एक्सप्लेन कर देना। इस पर अब कोई डिस्कशन नहीं हो सकता .....(विघन्)।

चौधरी दल सिंहः इस लिए हम वाक–आउट करते है।

(चौधरी दल सिंह चौधरी रिजकराम, चौधरी फूल चन्द रोहट, श्री के0एन0गुलाटी, चौधरी पीर चन्द तथा श्री गणपत राय सदन से वाक–आउट कर गए)

चौधरी शिव राम वर्माः स्पीकर साहब, मैं आपका एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। .....(विघन्) 6 मार्च को जो कार्यवाही यहां हुई, वह कार्यवाही पूरी रिपोर्ट नहीं हूई। हमने प्रोटैस्ट किया था.....

श्री अध्यक्षः आप मुझ से मिल लें।

चौधरी शिव राम वर्माः यह कार्यवाही लिखी नहीं गई।

श्री अध्यक्षः आप मुझे मेरे चैम्बर मे मिल लें, मै देख लूंगा।

(इस समय चौधरी शिव राम वर्मा और चौधरी राम लाल वधवा दोनों ने बोलना शुरू किया)

श्री अध्यक्षः आप दोनों एक साथ कैसे बोल रहे है, मेहरबानी करके एक साहब बैठ जाइए और दूसरा बोलिए। आप दोनों एक साथ न बोलें?

चौधरी शिव राम वर्माः मैं यह कह रहा हूं कि जब उस दिन की कार्यवाही लिखी नहीं गई, रिपोर्टिंग गलती हूई है तो उसके लिए हम कहां जाएं। हम क्या कहें।

श्री अध्यक्षः आप मुझ से मिलिए .....(विघन्) आप मेरी बात तो सुनते नहीं .....(विघन्) मैंने अर्ज किया कि आप मुझ से मिलिए अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं देख लूंगा।

चौधरी शिव राम वर्माः क्या वह रिपोर्टिंग दोबारा हो जाएगी ?

श्री अध्यक्षः मैं देखूंगा क्या बात है।

चौधरी शिव राम वर्माः हमने वाक आउट किया था लेकिन वाक आउट नहीं लिखा गया।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, यह जो कार्यवाही लिखी गई है इसमें आठ आदमियों का नाम है और अडजर्समैंट मोशन सबसे पहले जनसंघ ग्रुप का आया और दूसरे भाइयों ने बाद में दिया और यहां से वाक आउट में भी सबसे पहले हम गए।

श्री अध्यक्षः अगर ऐसी कोई बात है तो (विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवाः अखबार वालों ने छाप दिया, उपर वालों ने सुन लिया, रेडियो पर आ गया, परन्तु इन विधान सभा के रिपोर्टज ने नहीं सुना।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): ट्रिब्यून पैम्फलैट का जिक्र है जो हरियाणा की जनता के खिलाफ निकलता हे, छपवा लो उसमें। (विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, इस वाक आउट को आज यहां दर्ज किया जाए। हरियाणा विधान सभा सैक्रेटेरिएट में सारी प्रोसीडिंगज हुई, जो हाउस में चर्चा हुई उसको भी इलिमिनेट कर दिया है।

श्री अध्यक्षः आप मेरी बात सुनें (विघ्न) आप तशरीफ रखिए।

चौधरी राम लाल वधवाः एज ए प्रोटैस्ट हम वाक आउट करते हैं, जो हमारी सारी प्रोसीडिन्ज थी वह बीच में नहीं लिखी गई। (विघ्न)

चौधरी शिव राम वर्माः मुख्य मंत्री महोदय जी कहते हैं कि वहां लिखवा लो। वहां से भी कटवा दो बेशक, इसकी हमें परवाह नहीं, लेकिन हम यह कहते हैं कि यहां क्यों नहीं लिखी गई ? ओर जो काल अटैंशन मोशन का जवाब दिया है वह भी गल्त है, हम उसके बारे में भी बाक–आउट करते हैं।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, मेरी आप बात तो सुनिये। मैंने आपसे अर्ज की कि आप मुझ से मिलिए, अगर आपको कोई ऐसी जैनुअन शिकायत है तो उसको देखूंगा।

चौधरी शिव राम वर्माः हमारी जैनुअन शिकायत है, इसीलिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्षः खैर वह तो आपकी इच्छा है।

(इस समय चौधरी शिव वर्मा तथा चौधरी राम लाल वधवा ने वाक आउट किया)

श्री अमर सिंहः एक काल अटैन्शन मोशन विशाल हरियाणा पार्टी की तरफ से थी और उसमें स्पैसिफिकली लिखा हुआ था किः—

"The demands of the striking, total arrest of teachers upto date, alleged mal-treatment to the Nation Builders and the position of the hunger striking teachers."

यह स्पैसिफिकली दिया हुआ था स्पीकर साहब।

श्री अध्यक्षः चौधरी अमर सिंह इस सम्बन्ध में स्टेटमैंट गवर्नमैंट की तरफ से आ गया है। (विघ्न)

श्री अमर सिंहः यह जवाब तो बिल्कुल गोल मोल है।

श्री अध्यक्षः यह ठीक है, आप तशरीफ रखिए, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती, सरकार की तरफ से स्टेटमैंट आ चुका है।

श्री अमर सिंहः काल अटैन्शन मोशन का जवाब अप–टू–डेट न आने की वजह से हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करते हैं।

(इस समय चौधरी अमर सिंह, राव दलीप सिंह तथा राव बंसी सिंह हाउस से वाक आउट कर दिए)

गृह मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल): मेरी एक सबमिशन है कि जो जनसंघ के आनरेबल मैम्बर ने ये एलीगेशन लगाए हैं कि प्रोसीडिंगज में मुकम्मल तौर पर हमारे नाम वगैरा नहीं आए, मैं समझता हूं कि यह ब्रीच आफ प्रिविलिज है और यह चेयर पर अस्पर्शन है। आप इसको एग्जामिन करा लीजिए, ऐसी बात .....। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः ठीक है, मैं इसको एग्जामिन करूंगा।

दी हरियाणा एप्रोप्रिशन बिल, 1973

श्री अध्यक्षः एब एक मंत्री महोदया हरियाणा विनियोग विधेयक पुरास्थापित करेंगे।

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation Bill (हरियाणा विनियोग विधेयक) 1973.

Sir, I also beg to move:-

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्षः मितल साहब, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे ?

श्री राम सरन चन्द मितलः स्पीकर साहब, सप्लीमैंटरी डिमान्डज पर बहुत चर्चा हो चुकी है और जवाब भी दिया जा चुका है। बार–बार वही बातें रिपीट होती है। इसलिए इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः–

कि हरियाणा विनियोग विधयेक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः क्या कोई साहब इस पर बोलना चाहते हैं ?

आवाजें: नहीं जी।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः–

कि हरियाणा विनियोग विधयेक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सभा विधेयक पर क्लाज–वाई–क्लाज विचार करेगी।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि क्लाज 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि क्लाज 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि अनुसूची विधेयक की अनुसूची हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि क्लाज 1 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि अधिनियमन सूत्र विधेयक का अधिनियमन सूत्र हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शीर्षक

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि शीर्षक विधेयक का शीर्षक हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital): Sir, I also beg to move:-

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि हरियाणा विनियोग विधेयक पारित किया जाये।

(कोई भी माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ)

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि हरियाणा विनियोग विधेयक पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः सदन दोपहर पश्चात् दो बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

11.02 प्रातः

(तत्पश्चात् सदन 13 मार्च, 1973 के 2.00 बजे तक के लिए स्थागित हुआ)